

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

201/198 सेक्टर नं. 2, काहेरी एच.एम.नगर, जयपुर

क्रमांक एच. 22(7)(4)आ.वि./कि.अ.वि./प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, नियुक्ति/2017

जयपुर दिनांक 6/2/19

31731

अधिसूचना

संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं वैधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1(13)न्याय/2009 पार्ट दिनांक 29.01.2019 द्वारा सचिव, माननीय उच्च न्यायालय का पत्रांक Gen/11/05/2016/121 दिनांक 22.01.2019 के संदर्भित पत्र की अनुपालना में किशोर न्याय (बालों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधि से सम्बन्धित किशोर/किशोरियों के प्रकरणों में अधिनियम व संगत नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिसूचित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गठित किशोर न्याय बोर्ड, सवाई माधोपुर में प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 1 दिवस बैठक आयोजित कर अधिनियम एवं संगत नियमों के अनुरूप बोर्ड के विधायित्व कार्य का संपादन किया जायेगा।

(सचिव शासन)
आयुक्त एवं शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. General/11/05/2016/209

Dated: 08/02/2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. District & Sessions Judge, Sawai Madhopur
3. Chief Judicial Magistrate, Sawai Madhopur
4. Juvenile Justice Board, Sawai Madhopur
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ S.C. Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Statistics/ computer cell with a direction to upload the same on high court website.


REGISTRAR (RULES)